न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00004

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विरमराम पुत्र नारू, जाति गुर्जर, निवासी खारची तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत खारची, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली 2. शिवलाल पुत्र वचनाराम 3. सुरेश पुत्र वचनाराम 4. कालु पुत्र वचनाराम जातिगण गुर्जर निवासीगण खारची, तहसील मारवाड़ जिला पाली 5. ममतादेवी पत्नी ओमाराम पुत्री वचनारम जाति गुर्जर, निवासी खारची, हाल निवासी लोलावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 6. विमलोदवी पत्नी भुण्डाराम पुत्री वचनाराम जाति गुर्जर, निवासी खारची हाल निवासी अखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत खारची द्वारा मिसल संख्या 157/97–98, संकल्प संख्या 04/15.05.1998 एवं उसकी पालना में वसनाराम पुत्र हेमाजी गुर्जर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5009 दिनांक 20.09.1999 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम खारची की आबादी भूमि के पास स्थित है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया के वरानाराम के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। तत्समय पट्टाधारक की पत्नी सुन्दर उर्फ सुन्दरी वार्ड पंच थी, जिन्होनें अपने पद का दुरूपयोग करते हुये उक्त पट्टा जारी किया तथा तहसीलदार मारवाड़

अति. जिला कलक्टर, पाली

जंक्शन ने भी मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया जैर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अप्राथीगण का कब्जा है। इसलिये विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खारची द्वारा मिसल संख्या 157/97–98, संकल्प संख्या 04/15.05.1998 एवं उसकी पालना में वसनाराम पुत्र हेमाजी गुर्जर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5009 दिनांक 20.09.1999 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है, इसलिये जैर निगरानी प्रस्तुत की है। इसके सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत 1044 वर्गगज का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। जहां तक पट्टा जारी करने के आधार के 1996 के नियम 157 के अनुरूप होने का सम्बन्ध है, न्यायाधीश द्वारा इस पर विस्तार से विचार किया गया और इस आशय का विशिष्ठ निष्कर्ष दर्ज किया गया कि जैर निगरानी पट्टा 1044 वर्गगज की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वगर्गज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा जारी होना चाहिए जो कि हस्तगत प्रकरण में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ(Raj) 201 Kushal singh rajpurohit vs state of rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे जारी नहीं किया जा सकता है।"

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी उज्र किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की कृषि भूमि पर जारी कर दिया जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। अधिवक्ता प्रार्थी के इस उज्र के सम्बन्ध में तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.12.2024 के अनुसार भी अप्रार्थी संख्या 02, 03 तथा 04 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि के अन्यत्र

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one.

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस पर न तो आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर है, न ही आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक का अंकन है तथा उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि द्वितीय आदेशिका जिसकी दिनांक अंकित नहीं है, के द्वारा प्रस्तावित भूमि का नक्शा बनाये जाने तथा आदेशिका दिनांक 16.03.1998 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया, के सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है तथा बयानकर्ता ने जैर आराजी पर अप्रार्थी का मकान 30 वर्षे पहले बना हुआ बताया है जबकि आदेशिका दिनांक 15.05.1998 में अप्रार्थी का 50 वर्ष का कब्जा व कच्चा मकान बताया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। साथ ही बयानकर्ता भल्लाराम ने हल्फनामा प्रस्तुत कर कथन किया हस्तगत प्रकरण में उन्होने कोई बयान नहीं दिये है, जो बयानात मिसल के संलग्न है वह कुटरचित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। सरपंच द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खारची द्वारा मिसल संख्या 157/97–98, संकल्प संख्या 04/15.05.1998 एवं उसकी पालना में वसनाराम पुत्र हेमाजी गुर्जर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5009 दिनांक 20.09.1999 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत खारची को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली